

### सूचना

उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 03 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली संख्या -76 / 2023 / 2634 / 26-03-2023 सी०एन०-1574316 लखनऊ दिनोंक 27 सितम्बर 2023 व नियमावली संख्या- 77 / 2023 / 2631 / 26-03-2023 सी०एन०-1635592 दिनोंक 28 सितम्बर 2023 के क्रम में छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है जिसके अनुसार छात्र/छात्राओं की उपस्थिति शैक्षिक सत्र के दौरान 75 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

अतः सभी छात्र-छात्रायें जो छात्रवृत्ति हेतु अपना आवेदन कर रहे हैं, नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराये।

शैक्षणिक सत्र के दौरान उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाये जाने पर ऐसे सभी छात्र/छात्रायें दशमोत्तर छात्रवृत्ति सत्र 2023-24 हेतु अनर्ह हो जायेंगे व इस स्थिति में दशमोत्तर छात्रवृत्ति न पाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं एवं स्वयं सम्बन्धित छात्र का ही होगा।

प्रधानाचार्य

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज  
झॉसी।

पत्रॉक-5171 /द०छा० /2023-24 /एस०सी० 3 तदिनोंक  
प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो-

1- विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी / फिजियोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / पैथोलॉजी / रेडियोलॉजी / फार्माकोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / फोरेन्सिक मेडिसिन / कम्युनिटी मेडिसिन / ई०एन०टी० / नेत्र / गायनाकोलॉजी / सर्जरी / आर्थोपेडिक्स / एनेस्थीसिया / डेन्टल / मेडिसिन / पीडियाट्रिक्स / टी०बी० एवं चेस्ट / रिकन वी०डी० विभाग।

2- डीन एकेडेमिक, मेडिकल कॉलेज झॉसी।

3- अधीक्षक / सहायक अधीक्षक, समस्त यू०जी० छात्रावास मेडिकल कॉलेज झॉसी।

4- प्रभारी अधिकारी वेबसाइट।

5- नोटिस बोर्ड

प्रधानाचार्य

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज  
झॉसी।